न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ....कृष्णअवतार........ बनाम ....ईश्वर........

किस्म मुकदमा........212 R.T. Act........ मु0नं0........297........ सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
06.10.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 08.11.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ0ख0नं0 454/0.0126, 456/0.1770 है0 वाके ग्राम मकडावा तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 मे प्रार्थी का निजी आवागमन के रास्ता मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई मिट्टी पत्थर आदि डाल कर आवागमन रास्ता प्रार्थी मे किसी प्रकार से अवरोध आदि पैदा कर आवागमन प्रार्थी मे रूकावट बाधा पैदा ना करे,ना निजी रास्ता प्रार्थी मे कब्जा करे, मौका की यथावत स्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रोडा एक्ट पत्रावली, किसी भी न्यायालय की डिक्री, निर्णय, आदेश पर प्रभावी नही होगी। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 08.11.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
29/12/21	पत्रावली कैम्प कोर्ट मे पेश हुइ। पत्रावली का निस्तारण नही होने से आईन्दा पत्रावली न्याया0 हाजा में दिनांक 14/3/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) एस डी ओ/ रींडर
14/3/22	वादी वकील उप0। RAD शामिल होकर पत्रावली दिनांक 25/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
25/5/22	पत्रावली पेश हुई। अर्जी का मूल वाद अदम-हाजरी, अदम-पैरवी में खारिज किया जा चुका है। बगैर वाद के इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल मुताबिक होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील लेखा अन्दर हो। (हस्ताक्षर)